सत्यमेव जयते

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
प्रशासन(सतर्कता अनुभाग)

कल्पाक्कम – 603 102

Ref: IGCAR/2(100)/2023 -24/Admin(Vig)/ 508 सितम्बर 19 , 2023

Sir,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाहि गईं सूचना संबंधी|

--:ooOoo:--

कृपया अपना दिनांक 23.08.2023 के ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण क्रमांक IGCAR/R/E/23/00086 देखें। मांगी गई सूचना का उत्तर इस प्रकार है:

मांगी गईं सूचना	उत्तर
आवेदक अजीत राठौर ने विज्ञापन संख्या 02 2021 में स्तिपेंदारी द्ववातीय 06 हेतु आवेदन किया था जिसमें प्रार्थी ने निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन किया तत्पश्चात आवेदक ने जून 2022 में लिखित परीक्षा व ट्रेड टेस्ट में भाग लिया और सफलता पूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की जिसके बाद स्किल टेस्ट व डीवी में परीक्षार्थी ने भाग लिया और अच्छा परफ़ोर्मेंस किया परंतु का परिणाम 22 अगस्त 2023 को आया जिसमें आवेदक को अनुत्तीर्ण कर दिया गया जिसमें IGCAR दवारा कारण यह दर्शाया गया है कि आवेदक को 2020 से पहले आईटीआई पास होना चाहिए था मेरा IGCAR से प्रश्न है कि जब आपने विज्ञापन निकाला तो उसमे केवल 10th और आईटीआई की योग्यता दर्शायी थे जिसके आधार पर आवेदक ने आवेदन किया साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदक ने अपना ट्रेड प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था	आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम-2005 की धारा 2(एफ) के तहत "सूचना" की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। सीपीआईओ से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह औचित्य के आशय से यह बताए कि कोई कार्य क्यों किया गया या नहीं किया गया क्योंकि यह सूचना की मांग आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में आती है। अत: यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने 2018 में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ट्रेड में 2 साल के आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लिया है। कोविड-19 के कारण, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में देरी हुई जिसके कारण परिणाम 30.05.2021 को घोषित किए गए। विज्ञापन संख्या IGCAR/02/2021 के सामान्य निर्देश के तहत खंड 4 के अनुसार, उम्मीदवार के पास 14.05.2021 (आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि निर्धारित करने के लिए

यदि आपको 2020 से पहले का आईटीआई चाहिए था तो आपने विज्ञापन क्यों नहीं लिखा यदि आपको 2020 से पहले का आईटीआई चाहिए था तो आपने आवेदक आवेदन क्यों स्वीकार किया यदि आपको 2020 से पहले का आईटीआई चाहिए था तो आपने परीक्षा क्यों कराई यदि आपको 2020 से पहले का आईटीआई चाहिए था तो स्किल टेस्ट क्यों कराया इसका जवाब दो आपने आवेदक को क्यों अंधेरे में रखा आवेदक का 3 साल से समय बर्बाद हो रहा इसका जिम्मेदार कौन होगा।	महत्वपूर्ण तिथि) तक आवश्यक पात्रता होनी चाहिए। इसलिए, उम्मीदवार को मानदंडों को पूरा करते हुए नहीं पाया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया।

02. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा -19 के अनुसार अपील करना चाहते हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी, इंगांपअकें को अपील सकते हैं। अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार हैं।

श्री के.आर .सेतुरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं उपील प्राधिकारी
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
कल्पाक्कम – 603 102
दूरभाष नं. 044-27480104
ईमेल/Email: cao@igcar.gov.in

भवदीय,

पी.टी.मणि

(पी .टी .मणि)
प्रशासन अधिकारी &
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
दूरभाष नं. : 044-27480364
ईमेल: ao1@igcar.gov.in